

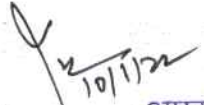
प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर रतलाम जिले में रतलाम-मोरवानी-उमर-रावटी-बाजना मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु 4.977 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग, रतलाम को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 01.2022

स्थान: भोपाल


(अशोक कुमार) अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)